



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>में सुना जाय पर यह पाया गया कि श्री काका के एक पुत्र तथा दो पुत्रियां श्री वादागल श्रमि श्री मं वारिमागल श्री के लदा किराना / किरानदास के नाम पर दर्ज भी श्री बाद वफात किमत, उलिवादी नं. 1 के नाम पर दर्ज हुई इस प्रकार वादागल श्रमियां वारिमागल की पुश्तकी सेपरेट प्रमाणित थी</p> <p>उलिवादी नं. 1 के दो पुत्री वारिनीगल व एक पुत्र उलिवादी नं. 3 का लगे तत्वीक कवाया गया इस प्रकार वादागल श्रमि मं वारिनीगल का काका के हिस्से (दर्ज) में 1/2 हिस्सा तथा उलिवादी नं. 3 का 1/4 हिस्सा बनता थी</p> <p>वारिनीगल द्वारा पूर्व लगे यह भेकिए नहीं किया जाये न ही यह कबल काम कि वादागल श्रमि के अलावा अन्य कोई श्रमि सहकार्यकारी में दर्ज नहीं थी इस कारण धारा 53 का अनुलोप दिखा जाता उचित नहीं पाया जाता थी</p> <p>किन्तु वारिनीगल वादागल श्रमि मं</p>	<p>7</p>

17  
7  
51  
5  
2  
5  
7  
1

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तारीख  
में जारी है

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मध्य इन्डिपेंडेंट्स जज

~~पैसा की अधिकारिणी प्रमाणित की~~

अतः दावा वारिनीगठ अंशतः स्वीकार  
किया जाकर यह आदेश रिये पाले है,  
कि ग्राम लखारिया की झमि ख. नं. 118  
144, 145, 736 किला पलकवा 3-20  
ह. में ल. का. नं. 1 हिस्से में ल. वारिनीगठ  
को हि. 1/2, परिवारी नं. 3 का हिस्सा  
1/4 का खालेदार घोषित किया  
जाता है। तदनुसार डिप्टी जारी  
हो। रिकार्ड में अमल हो। रहम बरम्बर  
रहगा  
पकावकी पैसा श्रुमात होकर  
दा. प. हो।

चित्रम का. रि. 2916117  
को लौक अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
रामनजमण्डी